वीर शहीद केशरी चन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर विकासनगर, देहरादून

(NAAC-B++)

महाविद्यालय : एक परिचय

पतितपावनी यमुना नदी के तट पर अवस्थित ऊर्जानगरी डाकपत्थर में सम्पूर्ण पछवादून व जौनसार भावर जनजातीय क्षेत्र की उच्च शिक्षा की पूर्ति हेतु इस महाविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अक्टूबर 1993 में की गई। सन् 1994–95 से वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी.काम. प्रथम वर्ष की कक्षा में 54 छात्र/छात्राओं व एक प्राध्यापक से इस संस्था का शुभारम्भ हुआ। सन 2001–02 में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, व गणित विषयों तथा कला संकायान्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति शास्त्र की कक्षाएं प्रारम्भ की गई। वर्ष 2005 से एम.कॉम. की कक्षाएं प्रारम्भ हुई।

महाविद्यालय का अपना भवन न होने के कारण आरम्भ में यह महाविद्यालय डाकपत्थर बस्ती एवं संचार खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में संचालित किया गया। अब उस भवन में सिर्फ व्यावसायिक पाठयक्रमों का ही संचालन हो रहा है। महाविद्यालय का स्थायी भवन लोअर लखवाड़ डाकपत्थर स्थित अपनी 16 एकड़ भूमि पर वर्ष 2008 में बनकर तैयार हुआ है और सत्र 2008–09 से इसमें तीनों संकायों–वाणिज्य, विज्ञान व कला का संचालन हो रहा है।

महाविद्यालय अपने सीमित संसाधनों के बावजूद सम्पूर्ण पछवादून क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। इसके अन्तर्गत सत्र 2006–07 से दो व्यवसायिक पाठयक्रमों क्रमशः पी.जी. डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन्स तथा पी.जी. डिप्लोमा इन योगिक साइंस का संचालन हो रहा है। सत्र 2008–09 से कला संकाय में अध्ययन हेतु अर्थशास्त्र व गृह विज्ञान विषय भी उपलब्ध है एवं इसी सत्र से ही तीन और व्यावसायिक पाठयक्रमों, पी.जी. डिप्लोमा इन मॉस कम्यूनिकेशन, बी.बी.ए. तथा बी.एड. का भी संचालन हो रहा है।

महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देशः

1. महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश योग्यता सूची के आधार पर होंगे। प्रवेश प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी।

प्रथम चरण – नये प्रवेशार्थी को प्रवेश योग्यता (मेरिट फार्म) आवेदन पत्र निम्नलिखित संलग्नकों के साथनिर्धारित तिथि तक ऑन लाइनमहाविद्यालय की वेबसाइट (www.gdcdakpathar.com) पर जमा करने होंगे–

क. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंकतालिका की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
ख. हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
ग. टी0सी0 एवं सी0सी0 की मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक है।
घ. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र।

ड. उत्तराखण्ड का मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया
प्रति।
च. खेलकूद का प्रमाण पत्रः राज्य स्तर/राष्ट्र्य स्तर
छ. एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र/'सी' प्रमाणपत्र/गणतंत्र दिवस परेड प्रमाणपत्र

ज. एन.एस.एस. 'बी' प्रमाण/दो विशेष शिविर प्रमाण पत्र/ 'सी' प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड प्रमाणपत्र
झ. स्काउट–पद सोपान–1 धारक/पद सोपान–3 धारक/निपुण धारक/राज्य पुरस्कार/राष्ट्रीय पुरस्कार

द्वितीय चरण :–योग्यता (मेरिट फार्म) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् संकाय/कक्षावारउपलब्ध सीटों के अनुसार योग्यता सूची घोषित कर महाविद्यालय सूचना पट्ट (महाविद्यालय की वेबसाइट www.gdcdakpathar.com) पर चस्पा कर दी जायेगी। योग्यता सूचीमें आये अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर या वाहक के द्वारा प्रिटिड फार्म की प्रति के साथ समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित महाविद्यालय प्रवेश समिति के समक्ष जमा करा देवें। टी0सी0 एवं सी0सी0 की मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करनी होगी। प्रवेश हेतु तीन दिनों के अन्दर प्रवेशार्थी को शुल्क अनिवार्य रूप से महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाइन जमा करना होगा। यदि तीन दिन तक प्रवेशार्थी शुल्क जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के छात्र को अवसर दिया जायेगा।

2. **सन् 2020–21 के स्नातक प्रथम सेमेस्टर/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड के नियमों के अनुसार होंगे जो निम्नवत है :**

	अध्ययन के विषय		
	स्नातक स्तर		
उपाधि	पाठ्य विषय	अवधि	उपलब्ध सीटें
बी.ए.	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास राजनीति शास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान	3 वर्ष	160 प्रति विषय
बी.एस.सी.			
गणित संवर्गः	भौतिकी, गणित,रसायन	3 वर्ष	60 प्रति विषय
प्राणी विज्ञान संवर्गः	वनस्पति, जन्तु, रसायन		60 प्रति विषय
बी.कॉम.	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार	3 वर्ष	120

बी.ए. प्रथम वर्ष के लिए चयन सम्बन्धी निर्देश ;श्री देव सुमन उत्तराखण्ड वि.वि. से सम्बद्ध :–

क. बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में छात्र उपरोक्त विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन कर सकता है।
ख. किन्तु छात्र हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में से कोई दो विषय ही चुन सकता है।

बी.कॉम. तथा एम कॉम प्रवेश हेतु नियम

1. बी.कॉम प्रथम वर्ष सेमेस्टर में प्रवेश उन्हीं अभ्यार्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने
2. इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उत्तीर्ण की हो।

(ii) इन्टरमीडिएट परीक्षा अन्य विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो किन्तु इन्हें क्वालीफाइंग परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी।

2. एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो निम्नलिखित शर्ते पूरी करते हों,

(i) बी.कॉम. अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उतीर्ण की हो।

(ii) बी.ए./बी.एस.सी. परीक्षा अर्थशास्त्र अथवा गणित के साथ उत्तीर्ण की हो, इन्हें क्वालिफाईंग परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी।

अनिवार्य विषय पर्यावरण विषय का अध्ययन कला संकाय के छात्रों को बी.ए. द्वितीय वर्ष तथा बी.कॉम/बी.एस.सी. के छात्रों को द्वितीय वर्ष में अनिवार्य रूप से करना होगा।

स्नातक/स्नातकोत्तर के अन्य सेमेस्टर में प्रवेश एवं अध्ययन सत्र 2020–21 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के नियमानुसार पूर्ववत निम्न प्रकार रहेगें।

स्नातकोत्तर स्तर

उपाधि	विषय	अवधि	उपलब्ध सीट
एम.एस.सी.	भौतिकी	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)	17
	रसायन	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)	17
	गणित	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)	40
एम.ए.	राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, हिन्दी	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)	30
एम.कॉम.	प्रश्नपत्रों का चयन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठयक्रम के अनुसार	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)	33

स्ववित्तपोषित	पाठयक्रम			
उपाधि			अवधि	उपलब्ध सीटें
बी.एड.			2 वर्ष (4 सेमेस्टर)	50
बी.बी.ए.			3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	40
पी.जी.डी. यौगिक सांइस			1 वर्ष (4 सेमेस्टर)	30
पी.जी.डी. मॉस कम्यूनिकेशन			1 वर्ष (4 सेमेस्टर)	30
एम.ए. योग			2 वर्ष,(4 सेमेस्टर)	25

नोट : स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में पूरी फीस जमा करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश
(Important Insturction for Admission)

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में आवेदन के इच्छुक आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी रुचि के विषय चुनने और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी प्रवेश नियमों की ध्यान पूर्वक पढ़ लें।

2. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)/माइग्रेशन सार्टिफिकेट तथा चरित्र प्रमाणपत्र की मूल रूप से लगानी आवश्यक है।

3. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अंकतालिकाओं तथा खेल एवम् अन्य प्रमाणपत्रों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाई जानी आवश्यक है।

4. प्रवेश आवेदनपत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम एवं हस्तांतरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (रंगीन) उक्त स्थान पर चिपकाना आवश्यक है।

5. प्रवेश मिलने के पश्चात विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सीटों की उपलब्धता होने पर ही प्रवेश समिति द्वारा मेरिट आधार पर प्रवेश तिथि की समाप्ति के 10 दिनों के अन्तर्गत विषय परिवर्तन किया जा सकता है।

6. प्रत्याशी निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात किसी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को वार्षिक शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित जमा करना होगा तथा निर्धारित अवधि में परीक्षा फार्म भरकर प्राचार्य/निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा। ग. वि.वि. से सम्बद्ध छात्रों को परीक्षा शुल्क सीधे वि.वि. को परीक्षा फार्म भरते समय ऑनलाइन जमा करना होगा।

8. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थाओं को बिना कारण बतायें किसी भी आवेदक को प्रवेश देने से मना कर सकता है या उसका प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।

9. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अन्तिम अधिसूचित तिथि से पूर्व तक एकमुश्त वार्षिक शुल्क जमा कराना होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा किन्तु कश्मीर से पुनर्स्थापितों के लिए अंतिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।

10. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

11. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी भाई/बहिन को)यदि वे अर्ह हो तो स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय एक सीट तथा स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

12. निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

13. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रवेश नियम सत्र 2018–19
(Admission Rules)

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होंगे –

1. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए महाविद्यालय/प्रवेश समितियों का गठन करेंगें, जो अलग–अलग संकायों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगे। तत्–तत् संकायों में प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य/संकायाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
2. समितियों की विधिवत् गठन की सूचना प्राचार्य/संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय को भी प्रेषित करेंगे।
3. विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला एवम् वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तरांचल शासनादेश संख्या– 1144/क्रामिक–2–2001–53(1) 2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी जो कि निम्नवत् है।
5. अनुसुचित जाति–19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति–04 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग–14 प्रतिशत, इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से हारिजेन्टल आरक्षण देय होगा, महिला–30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक–05 प्रतिशत, दिव्यांग–04 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित–02 प्रतिशत। आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा।
6. उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगें। प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हो। उत्तराखण्ड से बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार वरियता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
7. दिव्यांग अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है, उसी श्रेणी में 04 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु संकाय में स्नातकोत्तर स्तर की सम्पूर्ण सीटों की संख्या के

आधार पर विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की गिनती की जायेगी, तदुपरान्त प्राचार्य/संकायाध्यक्ष यह निर्णय लेगें कि आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों की सामान्य श्रेणी से भरा जा सकेगा।

8. प्रवेश की अन्तिम तिथि पर यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते कि उन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
9. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह है। दसवीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय हों।
10. स्नातक/स्नातकोत्तर पर विभिन्न कथाओं विषयों में निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश हो। सीटों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
11. संस्थापक परीक्षाओं पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोकसभा/विधानसभा के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियन्ता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। पर्यावरण विषय का अध्ययन कला संकाय के छात्रों को बी.ए. प्रथम सेमिस्टर तथा बी. कॉम/बी.एस.सी के छात्रों को द्वितीय सैमेस्टर में अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. प्रवेश आवेदन पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) तथा चरित्र प्रमाण पत्र (CC) मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा करना आवश्यक है, अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
14. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना होगा, ताकि उसके छाया चित्र एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके।
15. बी.एड. में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर मैरिट अंकों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश की अधिसूचना के अनुसार दिया जायेगा।
16. अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा एवम् संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्राप–आउट छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ड्राप–आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो परीक्षा आवेदन–पत्र भरा हो, और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मलित न हुआ हो।
17. स्नातक प्रथम वर्षके छात्रों को अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जा सकता है प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र एवम् चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छः (6) वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर (4)वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा *अर्थात व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र उक्त अवधि के पश्चा*त भी अध्ययनरत रह सकते है। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व
19. छात्र का लाभ ले सकेगें जिन्होंने पूरे समय अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता है।
20. जिन छात्रों की गतिविधियों नियन्ता मंडल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, अथवा निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
21. संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा छात्र एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा/ दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उदाहरणार्थ– यदि किसी छात्र ने एम.ए.

अर्थशास्त्र उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला संकाय के किसी अन्य विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, और न ही वह किसी संकाय की समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकता है।

22. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
23. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
24. प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के पश्चात यदि कोई प्रवेश दिया जाता है। तो वह अवैध होगा। 15 दिन के भीतर सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित की जानी होगी।
25. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र में भी आबंटित विषय का उल्लेख किया जायेगा। 22. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/संकायकाध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेंगे उनकी सूचना समय–समय पर सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को दी जायेगी। इन्हीं सूचियों के अधार पर विभिन्न विभागों की छात्र उपस्थिति पंजिका में छात्र/छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेगें। 23. संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा, और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
26. यदि किसी छात्र ने बी.कॉम/बी.ए. प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है और द्वितीय/तृतीय वर्ष में संस्थागत रूप से प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए बी.कॉम/बी.ए.प्रथम/द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इसी प्रकार एम.कॉम/एम.ए. के लिए भी व्यक्तिगत प्रथम वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
27. छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी, तदुपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी।
28. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
29. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में तीन दिनों के छूट के साथ–साथ न्यूनतम निर्धारित अंकों के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
30. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जायेगा ओर कानून के दायरे में आ जाएगा। **<u>प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी यू. जी.सी. की वेबसाइट पर एंटी रैंगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय में भी जमा करनी होगी</u>।**
31. अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दो वर्ष तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है तो विश्वविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है, परन्तु इस समय अन्तराल का शपथ–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र जमा करना होगा जिससे सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो।
32. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थीं को भी प्रवेश दिया जा सकता है। बशर्ते कि इन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हो।
33. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से (10़2) इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। बशर्ते कि 10वीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय हों।

<u>स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण</u>

प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम तिथि तक निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश देंगे।

1. स्नातक स्तर पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिये जायेंगे।

2. योग्यता सूची इण्टरमीडिएड/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर बनाई जायेगी।

अतिरिक्त अंक निम्न प्रकार से आबंटित कर अंतिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जायेगा।

1. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 5 तथा 7 अतिरिक्त अंक देय होगें।
2. एन.सी.सी. 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक)
3. राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी', प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे+दो विशेष शिविरों को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक)
4. स्काउट में पद सोपान–1 धारक को 1 अंक तथा पद सोपान–3 धारक को 2 अतिरिक्त अंक देय होगें, निपुण धारक को 1 अंक तथा राज्य पुरस्कार को 2 अंक तथा राष्ट्रपति पुरस्कार को 3 अंक देय होगें (अधिकतम 5 अंक)

नोटः– उपरोक्त वर्णित 1 से 4 तक की श्रेणी में आने वाले प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में सात अंकों से अधिक लाभ नहीं दिया जायेगा।

5. सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्त अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति–पत्नी), पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री) को 3 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगें।

2. एम.एस.सी. में प्रवेशार्थ न्यूनतम, अर्हता विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की बी.एस.सी. परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होगें। कला एवं वाणिज्य की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की बी.ए./बी.कॉम. परीक्षा में उत्तीर्ण 40 प्रतिशत अंक होगें अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।

   स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश का निर्धारण प्राचार्य द्वारा विभागाध्यक्ष की संस्तुति के बाद ही किया जायेगा।

3. बी.एस.सी./बी.कॉम./ में उत्तीर्ण छात्र किसी भी विषय में एम.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह होगें।

3. अभ्यर्थियों की योग्यता सूची का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा।

   (अ) सूचकांक $(x/X+y/Y)x100$

   यहाx= प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के लिखित (Theory) के प्राप्तांगों का योग,

   यहाँ X= प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के लिखित (Theory) के पूर्णाकों का योग,

y= स्नातक के तीनों वर्षों के प्राप्तांगों का योग,

Y= स्नातक के तीनों वर्षों के पूर्णांकों का योग,

(ब) अतिरिक्त अंकों क गणना निर्धारित कर उसे सूचकांक (अ) में जोड़ दिया जायेगा।

1. आवेदक ने यदि इस महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो पाँच अंक एवम् श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के स्नातक को तीन अंक।
2. अन्तर विश्वविद्यालय तथा राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को पाँच तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आवेदक को सात अंक देय होगें, विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय काप्रतिनिधित्व करने पर दो अंक देय होगें।
3. एन.सी.सी.'बी' प्रमाण पत्र धारक को दो अंक 'सी' प्रमाण पत्र धारक को तीन अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को पाँच अंक।
4. राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे+दो विशेष शिविरों को दो अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को तीन अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को पांच अंक (अधिकतम 5 अंक)

अ सेना में कार्यरत सैनिकों एवम् केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री) को दो अतिरिक्त अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

अ महाविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों (पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री) को उसी महाविद्यालय जिसमें उनके माता–पिता, पति–पत्नी कार्यतर हो को पांच अतिरिक्त अंक देय होगें।

(नोटः– उपरोक्त 'ब' के अन्तर्गत अधिकतम देय अंक 15 ही होगें)।

5. दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी है तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4 वर्षों में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

उत्तराखण्ड मुक्त वि0वि0 अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय परिसर में उत्तराखण्ड मुक्त वि0वि0 का अध्ययन केन्द्र सत्र 2015–16 से संचालित संस्थागत कक्षा में प्रवेश से वंचित एवं अन्य व्यक्ति जो अध्ययन के इच्छुक है विभिन्न कोर्सो जैसे बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम0, डिप्लोमा इत्यादि पाठयकर्मों का चयन कर अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। जो छात्र महाविद्यालय के अध्ययन केर्नें में प्रवेश के इच्छुक है वे आन लाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र कोड 11112 को भरें तथा सुनिश्चित कर लें कि आपका इच्छित अध्ययन कोड ही अंकित किया गया है अध्ययन कन्द्र में सभी विषयों के प्राध्यापकनियुक्त हैं। अतः उन्हें उचित परामर्श/अध्ययन में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम

1. प्रत्येक विद्यार्थी को पूर्णतः अनुशासित रहकर महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिनियमों, संविधि, अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक पालन करना होगा।

2.प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास परिचय पत्र का होना आवश्यक है जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है।

3.किसी भी विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करना अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देना अनुशासन भंग करना माना जायेगा।

4.महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना या क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करना, अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में व्यवधान पैदा करना, दीवारों पर पोस्टर लगाना या लिखना, लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना, महाविद्यालय परिसर में शोर मचाना, सूचना पट से नोटिस फाड़ना या उसे बिगाड़ने का प्रयत्न करना दण्डणीय अपराध है।
5. उपरोक्त किसी व्यवस्था के पूर्ण या आंशिक उल्लंघन/अवहेलना करने पर दोषी विद्यार्थियों को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रावधाननुसार दण्डित–निलिम्बत, निष्कासित अथवा/और विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

(महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू है निर्धारित कोड से ही छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति है।)

छात्र/छात्राओं के लिए अन्य निर्देश

महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है किः–

1. वे प्रतिदिन सूचना पट्ट में अंकित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करते रहें।
2. किसी भी समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम विभाग प्रभारी प्राक्टर या कार्यालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें।
4. महाविद्यालय की गरिमा एवं सम्मान को ध्यान में रखते हुए अनुशासित व्यवहार एवं आचरण बनाये रखें।
4. महाविद्यालय कार्यालय में जो भी धन जमा किया जाय उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है। अन्यथा किसी प्रकार की क्षति के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. शुल्क जमा करने के पश्चात् सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से शुल्क रसीद दिखाकर व्याख्यान पंजिका में अपना नाम लिखाना सम्बंधित विद्यार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
6. महाविद्यालयों में 180 दिन का वार्षिक अध्यापन तथा प्रतिदिन विद्यालय में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित होनी आवश्यक है।

उपस्थिति नियम : शासनादेश संख्या 5228;1(15–उ.शि.) 1/97 दिनांक 11 जून, 1997 के अनुसार कोईभी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि वह व्याख्यान कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता। विज्ञान के विषयों अथवा ऐसे अन्य विषयों में जिनमें प्रयोगात्मक कक्षायें होती हैं, प्रयोगात्मक कार्य की अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि वंछित उपस्थिति में कमी के कारण विश्वविद्यालय द्वारा किसी विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंने दिया जाता तो उसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित विद्यार्थी का होगा

वार्षिक/सेमेस्टर विवरण

उपस्थिति नियम (Rules for Attendence)

विश्वविद्यालय की बी.ए., बी.एस.सी., बी. कॉम, व्यावसायिक एवं स्नात्तकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम लागू है। शासनादेश संख्या–528 (1(15 उच्च शिक्षा) 71/1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में पृथक–पृथक 75: उपस्थिति पूरी नहीं करता। विज्ञान अथवा ऐसे अन्य विषयों जिनमें प्रयोगात्मक विषय है शिक्षण कार्य अवधि में 75: उपस्थिति अपेक्षित होगी।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में व्याख्यान और सेमिनार/प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक–पृथक 6 प्रतिशत तक की छूट संकायाध्यक्ष (डीन)/प्राचार्य द्वारा 9 प्रतिशत तक की छूट मा. कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (v) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो या

   (c) इसी के समक़ा किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर।

2. विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर स्नातक छात्र को विशेष अध्ययन के निमित्त किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान तथा उच्च अध्ययन के लिए किसी केन्द्र में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य के लिए कुलपति द्वारा 6 सप्ताह तक की अवधि की अनुमति दिये जाने पर कुलपति द्वारा उपस्थिति न्यूवता मार्जन किया जा सकेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति सूचित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थी को उस संस्थान के, जहा उस विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, अध्ययन कक्षाओं में उपस्थिति, प्रयोगात्मक कार्य, पुस्तकालय में कार्य करने की तिथियों के निर्देश सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद के समारोह, राष्टन्नेय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता मार्जन कर दिया जायेगा, बशर्ते सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षित प्रमाण पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया है। **नोटः**–बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जायेगी।

व्यवसायिक पाठयक्रम (स्ववित्त पोषित पाठयक्रम)

वर्तमान त्वरित गति से परिवर्तित हो रहे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक तकनीकी के पूर्व व्यावसायिक परिवेश में मानव शक्ति संसाधनो के सम्यक उपयोग हेतु उसे उपयोगी एवं दक्षता सृजन अधारित शिक्षा के माध्यम से बहु आयामी व्यावसायिक कौशलों से सुसज्जित करना अपरिहार्य हो गया है जिससे न केवल रोजगार अवसरों के सफल विदोहन के मार्ग प्रशस्त हो सकें बल्कि नई कैरियर संभावनाएं भी खोजी जा सकें। रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा इस संदर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

उत्तराखण्ड शासन ने भी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण परिवर्तन, वांछित दक्षताओं के सृजन तथा विधि क्षेत्रों में कौशल विकास हेतु शैक्षणिक सत्र 2003–04 में विभिन्न महाविद्यालयों में

रोजगारपरक व्यावसायिक पाठयक्रमों को संचालित किया जाना प्रारम्भ किया है, जिनके लिए अवस्थापनाओं के सृजन पर अद्वितीय प्रयास प्रारम्भ हुए हैं। उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत निम्न पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित हो रहे है।

1. बी.एड. (योग्यता– स्नातक)

2. बी.बी.ए. (योग्यता –10+2)

3. पी.जी.डी.यौगिक सांइस (योग्यता – स्नातक)

4. पी.जी.डी. मास कम्यूनिकेशन (योग्यता–स्नातक)

5. एम.ए. योग

प्रत्येक पाठयक्रम में निर्धारित सीटों पर मेरिट के आधार पर केवल एक व्यावसायिक पाठयक्रम में प्रवेश अनुमन्य होगा। ऐसे विद्यार्थियों को भी महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का पालन संस्थागत विद्यार्थियों के समान करना अनिवार्य होगा।

बी.एड. पाठयक्रम–

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) जो कि भारत सरकार का एक विधिक संस्थान है, के द्वारा महाविद्यालय का बी.एड. विभाग मान्यता प्राप्त है। यह उनके लिए एक ऐसा आदर्श क्षेत्र है, जो शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर समाज को अपने आदर्शों के अनुरूप गढ़ना चाहते है। वे इसके माध्यम से सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र में जाकर समाज को एक नई दिशा देने मे सक्षम होंगे। बी.एड. में **प्रवेश** – विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न प्रवेश परीक्षा के द्वारा होगा।

बी.बी.ए.–बी.बी.ए. छात्रों में व्यावसायिक निपुणता के साथ 'कार्पोरेट ' जगत की प्रतिस्पर्हा में नेतृत्वक्षमता एवं विषम व्यावसायिक परिस्थितियों सामना करने का व्यक्तित्व विकासित करने का उद्देश्य लेकर प्रारम्भ किया गया है। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठयक्रम टीम वर्क, शैक्षणिक विशेषता, व्यक्तिगत निपुणता एवं प्रबन्धन के गुणो को विकसित करता है।

पी.जी. डिप्लोमा इन योगिक साइंस व एम.ए. योग

पी.जी. डिप्लोमा इन योगिक सांइस विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही समाज में लोगों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्यों को लेकर प्रारम्भ किया गया है। यौगिक सांइस वैज्ञानिक तरीके से व्यक्तित्व का विकास करते हुए विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाता है।

पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन

छात्र–छात्राओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर पत्रकारिता जगत में स्वः रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र–छात्राओं को आधुनिक सूचना तंत्र में विशेषज्ञता के साथ समाचार संकलन, विश्लेषण एवं प्रकाशन–प्रसारण में दक्षता प्रदान करता है। राष्टन्रीय एवं वैश्विक परिदृश्य में पाठ्यक्रम छात्र–छात्राओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण की समुचित सैहान्तिक एंव व्यवहारिक जानकारी प्रदान करता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को विश्लेषाणात्मक योग्यता विकास के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास एवं संस्कृति की जानकारी प्रदान करना है।

सभी व्यवसायिक पाठयक्रमों में आधुनिक मशीनों, उपकरणों, इंटरनेट तथा सॉफ्टवेयर सुविधा युक्त कम्प्यूटर, इत्यादि से पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं उपलब्ध है।

छात्रों के विकासोन्मुखी पाठ्येत्तर कार्यक्रमः छात्रों के बहुमुखी विकास हेतु महाविद्यालय में निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था हैः–

1.	एन.सी.सी	8.	महाविद्यालय पत्रिका
2.	राष्टन्रिय सेवा योजना	9.	एल्यूमिनाई एसोसिएशन
3.	क्रीडा परिषद्	10.	विभागीय परिषद्
4.	सांस्कृतिक परिषद्	11.	आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ
5.	छात्र संघ	12ण	शिक्षक अभिभवक संघ
6.	महिला प्रकोष्ठ	13.	रेजर रोवर
7.	कैरियर काउन्सलिंग प्रकोष्ठ	14.	एन्टी रेगिंग प्रकोष्ठ

1. **राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) :** इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण के साथ व्यक्तित्वविकास के विभिन्न प्रशिक्षण दिये जाते हैं। महाविद्यालय को सत्र 2008–09 से 50 कैडेटस की एक प्लाटून के संचालन की स्वीकृति प्राप्त है। एन.सी.सी. के विभिन्न प्रमाण–पत्र धारकों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान तथा सैन्य अकादमी में चयन हेतु शिथिलता/वरीयता प्रदान की जाती है तथा पी0सी0एस0 सहित सभी नियुक्तियों में वरीयता/अधिमान दिया जाता है। बी0एड0 प्रवेश परिक्षा 15 अंक तथा एल0टी0 ग्रेड अध्यापक हेतु नियुक्ति में 8 अंक तक अतिरिक्त प्रदान किये जाते है। एन0सी0सी0 में नामांकन हेतु भर्ती अगस्त के प्रथम सप्ताह में निर्धारित तिथि पर की जाती है।
2. **राष्ट्रीय सेवा योजनाः** इसके अन्तर्गत समाज सेवा के विभिन्न कार्य जैसे–श्रमदान, पर्यावरण संवर्धन,स्वास्थ्य और स्वच्छता, अनुसूचित जाति कल्याण, साक्षरता, रक्तदान आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते है। वर्तमान में एन.एस.एस. में अधिकृत प्रवेश स्थान 200 हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा छः विभागों में **राष्ट्रीय** सेवा–योजना के 'बी' एवं 'सी' प्रमाण–पत्र धारक स्वयंसेवियों की सेवा नियुक्ति में वरीयता/अधिमान दिया जाना प्रस्तावित है।
3. **क्रीडा परिषद् :** महाविद्यालय में अध्ययन–अध्यापन के साथ ही खेल–कूद की विभिन्न गतिविधियां भीसंचालित की जाती है, जिसमें समस्त छात्र–छात्राओं के प्रतिभाग का प्रावधान है। महाविद्यालय में वार्षिक **क्रीडा** प्रतियेागिता के साथ ही क्रिकेट, वालीबॉल, बैडमिण्टन, शतरंज आदि खेलों की अंतर संकाय प्रतियोगिताओं का भी समय–समय पर आयोजन किया जाता है। सत्र 2006–07 से छात्र–छात्राओं हेतु टेबल–टेनिस खेल का भी शुभारम्भ हो चुका है, एथलेटिक्स टीम के लिए महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय की विभिन्न टीमों को विश्वविद्यालय की अन्तरमहाविद्यालय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग हेतु भी भेजा जाता है।
4. **सांस्कृतिक परिषद् :** विद्यार्थियों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस परिषद का गठन किया गया है। यह कार्य महाविद्यालय के 'संस्कृति' क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से संपन्न होता है। यह क्लब नियमित अन्तराल पर लोक गायन, लोक–नृत्य, कविता आदि की अन्तर संकाय प्रतियोगिताएं आयोजित करता है जिनमें भाग लेकर छात्र/छात्राएं अपनी सांस्कृतिक अभिरूचियों का प्रदर्शन एवं पोषण करते है।
5. **छात्र–संघः** छात्र संघ चुनाव माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्याS.L.P(Civil)No.24295/2004/दिनांक 24–6–2004 जो अपर महाअधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या 4240 दिनांक 23.10.2006 द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा

सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/xxxiv(6)/2007-3(168)/2001 दिनांक 27–02–2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागूकरने के सम्बन्ध में प्रवेश समिति द्वारा बनाये नियमों के आधार पर छात्र संघ के चुनाव सम्पन्न होंगे।

6. **महिला प्रकोष्ठः** सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिला उत्पीड़न के मामलों की देख रेख के लिए इसमहाविद्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने हेतु प्रतिबद्ध है। यह प्रकोष्ठ छात्राओं के लिए निःशुल्क कराटे एवं योग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन नियमित अन्तराल पर करता रहता है, साथ ही महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान भी आयोजित करता है।

7. **कैरियर काउन्सलिंग प्रकोष्ठः** हमारे महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के रोजगार संबंधी परामर्श देने केलिए इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। रोजगार मिलने के अवसरों के साथ ही राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की सूचनायें इस प्रकोष्ठ से प्राप्त की जा सकती है।

8. **महाविद्यालय पत्रिका :** छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है।उनकी सृजनात्मक क्षमताओं की अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'कालिंदी' का प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है। इसमें छात्रों की स्तरीय रचनाओं का प्रकाशन किया जाता है। रचनाएं सादे कागज में एक ओर पर्याप्त हाशिया छोड़कर टंकित अथवा स्पष्ट हस्तलेख में होनी चाहिए। ज्वलन्त समस्याओं पर लेख, साक्षात्कार अथवा रचनात्मक विधाओं (जैसे–कविता, कहानी, संस्करण आदि) से संबधित रचनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

9. **एल्यूमिनाई एसोसिएशन :** महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को महाविद्यालय से जोड़े रखने के लिए महाविद्यालयमें 'एल्यूमिनाई एसोसिएशन' का भी गठन किया गया है। इसके माध्यम से हर भूतपूर्व विद्यार्थी अपने को हरदम महाविद्यालय परिवार का अंग महसूस करता है तथा वर्तमान छात्र–छात्राओं को उन्नति के लिए प्रेरित भी करता है।

10. **ऐकेडमिक क्लबः** महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न प्रकार की शैक्षिणक गतिविधिया°जैसे क्विज, भाषण प्रतियोगिता, सेमीनार एवं वाद–विवाद प्रतियोगिताएं समय–समय पर संचालित करायी जाती है। जिसमें विजयी छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है।

11. **आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ :** नैक व्यवस्थांतर्गत इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ कादायित्व आंतरिक मूल्यांकन द्वारा महाविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा की उत्कृष्ट गुणवत्ता बनाये रखना है।

12. **निर्धन छात्र सहायता :** निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्राओं ;सामान्यद्ध वर्ग को शुल्क मुक्ति प्रदान की जातीहै। कुल छात्र संख्या के 10 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को पूर्ण/अर्ह शुल्क मुक्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। शुल्क मुक्ति के सम्बन्ध में यथा समय सूचना पट्ट पर सूचना प्रसारित की जाती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति एंव अल्प आय वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति :यह छात्रवृत्ति उक्तवर्ग के उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो महाविद्यालय के नियमित छात्र है। इच्छुक विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित

तिथि तक ऑन लाईन फॉर्म भर कर उसकी एक प्रति महाविद्यालय में निर्धारित तिथि पर जमा करें। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले समस्त विद्यार्थियों को किसी भी बैंक की सी0बी0सी0एस0 शाखा में खाता खोलना आवश्यक है। ऑन लाइन छात्रवृत्ति आवेदन होने पर यदि किसी प्रकार से समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति देय नहीं होती है तो महाविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृति हेतु
चैक लिस्ट (आवश्यक अभिलेख)

1. गतवर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. निम्न तथ्यों के साक्ष्य में रू. 10/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित संलग्न किया जाना आवश्यक हैः–

   (i) xSi (Gap) के सम्बन्ध में शपथ पत्र (ii) समकक्ष/अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त न करने के सम्बन्ध में (iii) छात्र/छात्रा की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए छात्र के परिवार की समस्त स्रोतों के कुल मासिक आय के सम्बन्ध में। (iv) कहीं भी पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत् न होने के सम्बन्ध में। (v) छात्र/छात्रा के माता/पिता/पति के शासकीय/गैर शासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी स्रोतों से कुल मासिक वेतन;वेतन, मंहगाई, भत्ता, मंहगाई वेतन तथा अन्य भत्तों सहित) वेतन प्रमाण पत्र (वेतनस्लिप) की प्रमाणित प्रति। (vi) अन्य राज्य या श्रोत से छात्रवृत्ति न प्राप्त करने की शपथ।

3. छात्र/छात्रा का प्रमाणित फोटो।
4. शुल्क रसीद की छायाप्रति।
5. पूर्व कक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति।
6. स्थायी निवास प्रमाण पत्र की सत्यालिपि।
7. जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिप।
8. हॉस्टल में रहने का प्रमाण पत्र।
9. छात्र/छात्रा का बैंक की पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति

छात्र संघ (Student Union)

सत्र 2016–17 से राजकीय महाविद्यालय के विश्वविद्यालय से सम्बह होने पर भी उनमें छात्र संघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या**S.L.P. (Civil) No** 24295/2004/ दिनांक–24/06/2004 जो अपर महाअधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या 4240 दिनांक– 23/10/2006 द्वारा अधिसूचित एवम् उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश सं. 184/**XXIV** /2007–3(168)/2001, दिनांक–27/02/2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में प्रवेश समिति द्वारा नियमों के आधार पर छात्र संघ के चुनाव सम्पन्न होगें।

आचार संहिता

समस्त छात्रों पर लागू होने वाली आचार संहिता निम्नवत् है

खण्ड–1

छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार पर अंकुश–छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा व्यक्तियों के समूह में निम्नलिखित गतिविधियां अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संस्थान अथवा ऐसे संस्थान की किसी इकाई में किसी शिक्षक, कार्यकारी किस अभिकरण इकाई अथवा अन्य निकाय के सदस्य, शिक्षणोत्तर कर्मचारी अथवा ऐसे किसी संस्थान अथवा इकाई के छात्र अथवा अधिकारिक नियन्त्रण पर अथवा किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य हेतु परिसर में किसी आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी अथवा कोई अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में विश्वविद्यालय तंत्र के किसी संस्थान अथवा संस्थान की इकाई में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक क पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यों किसी भी प्रकार से बाधा पहुचाना।
3. विशेष निर्णय जिन पर विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में नियन्ता अथवा अन्य संस्थाओं के सन्दर्भ में सम्बन्धित संस्थान में अनुशासन निर्वहन हेतु उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय एंव किसी भी संस्थान के परिसर में लाउडस्पीकरों अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
4. विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान अथवा एक से अधिक संस्थानों या किसी संस्थान की इकाई द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणोत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अन्य समकक्ष कार्यक्रमों में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड 4 में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. विश्वविद्यालय की किसी संस्थान या ऐसे संस्थान की इकाई अथवा ऐसे संस्थान व इकाई से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले असत्य वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलियां पंपलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनायें आदि सम्मिलित है का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थों का रखना एवं वितरण।
8. ऐसा कोई वक्तव्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह मध्य के मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता है।
9. कोई वक्तव्य जो विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों को अवहेलना करता हो।
10. किसी सशस्त्र के रखने प्रदर्शन करने अथवाउससे धमकाने।
11. कोई वक्तव्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
12. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
13. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार युक्त अथवा यौन उत्पीड़न का भान कराने वाला कोई मौखिक अथवा अन्य वक्तव्य या व्यवहार।
14. मिथ्या कथन अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
15. विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई के नाम के किसी कार्यÿम की योजना अथवा किसी संचार या प्रतिवेदन में अनाधिकृत

प्रयोग अथवा सम्बन्धित संस्थान अथवा इकाई द्वारा स्पष्ट रूप से अधिœत उद्देश्यों से भिन्न मन्तव्यों हेतु प्रयोग।

16. किसी भी रूप में रिश्वत् देने का कोई प्रयास अथवा कोई अन्य भ्रष्ट आचरण।
17. कोई ऐसा वक्तव्यजो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हो।
18. कोई वक्तव्य जेा निषिद्द भवनों अथ्वा क्षेत्रों में अनाधिकृत उपस्थिति अथवा प्रवेश या उल्लंघन सदृश्य हो तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई के भवनों पर कब्जा।
19. ऐसा कोई वक्तव्य जो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी उसकी इकाई के कार्यकलापों में किसी वाह्य व्यक्ति अथवा संस्थान या प्राधिकारी के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करता हो अथवा उसका आशय रखता हों।
20. अनाधिकृत कोश संग्रह।
21. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई में प्रविष्ट होना।
22. नैतिक अधमता सदृश्य कोई वक्तव्य।
23. कोई अन्य वक्तव्यजो विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी इकाई के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हो।
24. खण्ड–2 में पारिभाषित रैगिंग करने सम्बन्धी अथवा उसमें लिप्त होने सम्बन्धी कोई कृत्य।
25. छात्रों को परिसर में मोबाईल फोन अथवा किसी अन्य इलैक्टन्रेनिक यंत्र पर संगीत सुनना अथवा कोई दृश्य सामग्री देखना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

26. खण्ड–2

पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरण

27.

विश्वविद्यालय ने रैगिंग की समस्या के नियंत्रण हेतु सू.जी.सी. के नियम अपने परिसर में रैगिंग की प्रभावशाली रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश 2009 मार्च तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या–310/04/एस.आई.ए., दिनांक –26 फरवरी, 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित प्रावधान किये हैं।

रैगिंग से सम्बन्धित अभिप्राय है

Any dissorderly conduct whether by words spoken of wrtten or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student[including in rawdy or undiciplined activities which causes or is likely to cause embarrassment, hardship or psychological harm, or to raise fear of apprehension thereof ina fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which Such students will not in the ordinary course do or perform and which has the effect of causing or generting a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall br deemed to be ragging.

2. रैगिंग से सम्बन्धित दण्ड

- रैगिंग करने के लिए उकसाना।
- रैगिंग करने के लिए अपराध षड़यंत्र।
- रैगिंग हेतु गैरकानूनी सभा एवं दंगा करना।
- रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।
- रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
- रैगिंग शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
- अनुचित रूप से अथवा प्रतिबन्धित करना।
- अनुचित रूप से बंधक बनाना।
- अपराधिक बल का प्रयोग करना।
- साथ ही आमत्रण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।
- जबरन वसूली।
- अपराधिक अतिक्रमण
- सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध।
- अपराधिक रूप से धमकाना।
- रैगिंग के शिकार अथवा शिकारों में उपरोक्त में से किसी अथवा सभी कृत्यों को करने का प्रयास।
- रैगिंग की परिभाषा से जनित समस्त अपराध।

3. दण्ड

संस्था की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रगति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है।

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- कक्षा से निलम्बन।
- छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।

- किसी भी क्षेत्रीय, राष्टन्रीय एवं अन्तर्राष्टन्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- छात्रावास से निष्कासन।
- निरस्तीकरण।
- संस्था से एक से चार सेमेस्टर अवधि हेतु निष्कासन।
- संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
- रु. 25 हजार का जुर्माना।
- जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाय तब सम्भावित रैगिंगकर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

खण्ड–3

पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरण

1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर में प्रवेश प्राप्त छात्र को नियन्ता कार्यालय द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा। किसी छात्र को जारी पहचान पत्र को ही उसके विश्वविद्यालय का छात्र होने का एक मात्र प्रमाण माना जायेगा। नियन्ता मण्डल के किसी सदस्य के मांगने पर प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने में किसी छात्र के असमर्थ रहने की स्थिति में उसे अनाधिœत प्रवेशकर्ता माना जायेगा एवं उसके विरूद्ध (विश्वविद्यालयें के नियमों का अधीन) कार्यवाही की जायेगी। पहचान पत्र खो जाने की सूचना नियन्ता कार्यालय को देना होना तथा नियन्ता कार्यालय से इस आशर का आवेदन प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुए तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि पहचान पत्र नियन्ता कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

2. मांग करने पर छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र नियन्ता कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अक्सर नौकरी के लिए आवेदन करते समय छात्रों से समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। नियन्ता द्वारा अधिकृत रूप से जारी चरित्र प्रमाण पत्र को सामान्यतः छात्र/छात्रा का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है लिखित आवेदन करके निर्धारित शुल्क जमा करने पर छात्रों को जितनी बार आवश्यकता हो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। परन्तु जिन छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया गया हो अथवा जिन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो अथवा रैगिंग में लिप्त पाया गया हो उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्रावधानः

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरान्त जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जुलाई 2004 में महाविद्यालय में महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है। इससे आगे बढ़ते हुये एक विशेष पहल के रूप में महिला छात्राओं में आत्म विश्वास संवर्द्धन हेतु प्रकोष्ठ द्वारा सैन्य विधाओं एवं योग की कक्षायें आयोजित की जाती है। प्रकोष्ठ महिला सशक्तिकारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष व्याख्यान भी आयोजित की जाती है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय द्वारा महिला छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करता है तथा महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन निम्नवत् किया गया हैः–

1.डॉ. कामना लोहानी संयोजक

शपथ पत्र का प्रारूप (केवल छात्र/छात्रा द्वारा भरा जायेगा)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती..... ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा

   केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2. मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
3. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हू°–

   मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होगा/होगी जो रैगिंग के परिभाषा के अन्तर्गत आता हो। मैं किसी भी रूप में रैगिंग में लिप्त नहीं होगा/होगी, उसको प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूंगा/करूंगी। मैं किसी को भी शारीरक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूगा/करूगी, अथवा कोई अन्य क्षति नहीं पहुचाउगा/पहुचाउगी।

हस्ताक्षर.....दिन.....माह.....वर्ष.....

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

माता/पिता/अभिभावक का शपथ पत्र प्रारूप

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती..... ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा

केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है।

2. मैं विश्वास दिलाता /दिलाती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/ संरक्षित रैगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।

3. मैं सहमति देता/देती हूँ कि यदि उसे रैगिंग में लिप्त पाया गय तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के

विरूद्ध एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाय।

हस्ताक्षर.....दिन.....माह.....वर्ष.....

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

या

विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एन्टी रैगिंग शपथ पत्र हेतु लॉगऑन करें तथा समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन पूर्ण करने के पश्चात उपलब्ध फार्म को प्रिंट करके अपने तथा अपने अभिभावक के अलग–अलग फार्म पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त प्रवेश के समय इस शपथ पत्र को जमा करें।

Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Student
कालेज एवं विश्वविद्यालय विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मन्त्रालय के उच्चत्तर शिक्षा विभाग/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अनुभाग के पत्रांक संख्या 1–44/2016–छै–1 (e Scholarship Portal) दिनांक 1–6–2016 एवं निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल, के पत्रांक पृ0सं0 छात्रवृत्ति /4307–4416/2016–17 द्वारा कालेज एवं विश्वविद्यालयों के अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु राष्टन्रीय छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे उनके बैक खाते में भेजी जाती है।

इस योजना हेतु 1–8–2015 से National e Scholarship Portal (Ne-Sp) का आरम्भ किया गया है ताकि विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जा सके। इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिये योग्य अभ्यर्थी National e Scholarship Portal पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अनुशासनः

अनुशासक मण्डल महाविद्यालय में स्वच्छ एवं अनुशासित शैक्षणिक वातावरण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। समय–समय पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा नियम बनाए जाते है। जिनका अनुपालन करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। अनुशासक मण्डल का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। किसी भी विद्यार्थी द्वारा अनुचित व्यवहार व किसी नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासक मण्डल को पूर्ण अधिकार है कि वह विद्यार्थी के विरूद्ध उचित कार्यवाही करे।

रैगिंग निरोधक समिति/रैगिंग निरोधक दस्ता

माननीय उच्चतम न्यायलय के पत्र सं0 310/04/एस0आई0ए0 दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 को

दृष्टिगत रखते हुये यू0जी0सी0 एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड शासनद्ध के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैगिंग निरोधक समिति (Anti ragging Committee) एवं रैगिंग निरोधक दस्ता (Anti ragging Squad) का गठन किया जाता है जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोर कार्रवाई हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करती है।

सभी छात्र–छात्राऐं अपने प्रवेश आवेदनपत्र के साथ ऑन लाइन एन्टी रैगिंग फार्म भरकर जमा कराऐं।

www.antiragging.in
www.amanmovement.org

पुस्तकालय :

पुस्तकालय से पुस्तके प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को स्वयं अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेगी। पुस्तकें उपलब्ध होने पर स्नातक स्तर पर 02 पुस्तकें स्नातकोत्तर स्तर पर 06 निर्गत की जाती है। पुस्तकालय द्वारा मांगे जाने पर विद्यार्थी को तत्काल पुस्तकें वापस करनी होंगी। पुस्तकों को सुरक्षित रखना विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई पुस्तक फट जाये, गन्दी हो जाये या किसी भांति नष्ट हो जाये तो उस दशा में विद्यार्थी को नई पुस्तक क्रय कर जमा करनी होगी। विद्यार्थी को निर्गत पुस्तकें परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व लौटानी होंगी। विद्यार्थी को केवल उनके विषयों एंव कक्षा से सम्बन्धित पुस्तकें ही निर्गत की जायेंगी। पुस्तकें निर्गत करने का समय प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/प्राध्यापकगण/कर्मचारीगण सूची

प्राचार्य प्रो. (डा0) गोविन्द राम सेमवाल

प्राध्यापक वर्ग

वाणिज्य विभाग		
1.	डॉ. विजय सिंह नेगी	एसोसिएट प्रोफेसर
2.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बडोनी	असिस्टेंट प्रोफेसर
इतिहास विभाग		
3.	डॉ. आशाराम बिजल्वाण	असिस्टेंट प्रोफेसर
4.	डॉ. कामना लोहानी	असिस्टेंट प्रोफेसर
5.	डॉ. राकेश मोहन नौटियाल	असिस्टेंट प्रोफसर
अग्रेजी विभाग		
6.	डॉ. दीप्ति बगवाडी	असिस्टेंट प्रोफेसर
7.	डॉ. माधुरी रावत	असिस्टेंट प्रोफेसर
8.	रिक्त	
राजनीति विज्ञान विभाग		
9.	डॉ. राजकुमारी भण्डारी	असिस्टेंट प्रोफेसर
10.	डॉ. अमित गुप्ता	असिस्टेंट प्रोफेसर
11.	श्री सुनील कुमार	गेस्ट फैकल्टी
हिन्दी विभाग		
12.	डॉ. अरविन्द कुमार अवस्थी	एसोसिऐट प्रोफेसर
13.	डॉ. नीलम ध्यानी	असिस्टेंट प्रोफेसर
14.	डॉ. रेखा सिहं	गेस्ट फैकल्टी
शिक्षा शास्त्र विभाग		
15.	डॉ. निरंजन कुमार प्रजापति	असिस्टेंट प्रोफेसर
16.	गृह विज्ञान विभाग	
17.	डॉ. पूजा पालीवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर
संस्कृत विभाग		
18.	डॉ. राधेश्याम गंगवार	प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग		
19.	डॉ. मुक्ता डंगवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर
रसायन शास्त्र विभाग		
20.	डॉ. विरेन्द्र जोशी	ऐसोसियेट प्रोफेसर
21.	डॉ. महेन्द्र सिहं पंवार	ऐसोसियेट प्रोफेसर
22.	डॉ. राकेश कुमार जोशी	असिस्टेंट प्रोफेसर
भौतिक विज्ञान विभाग		
23.	डॉ. आसूतोष त्रिपाठी	ऐसोसियेट प्रोफेसर
24.	डॉ. विनोद सिहं रावत	असिस्टेंट प्रोफेसर
25.	डॉ. योगेश भटट	असिस्टेंट प्रोफेसर
गणित विभाग		
26.	डॉ. रोशन लाल	एसोसिएट प्रोफेसर
27.	डॉ. दिनेश कुमार	गेस्ट फैकल्टी
28.	रिक्त	
वनस्पति विज्ञान विभाग		
29.	डॉ. राखी डिमरी	ऐसोसिएट प्रोफेसर
जन्तु विज्ञान विभाग		
30.	डॉ. दिलीप कुमार भाटिया	असिस्टेंट प्रोफेसर
बी.एड. विभाग (स्ववित्त पोषित)		
1.	डा0 रूचि बहुखण्डी	विभागाध्यक्ष

2.	श्रीमती प्रिन्सी कर्णवाल	संविदा प्रवक्ता
3.	कु0 कविता बडोला	संविदा प्रवक्ता
4.	डा0 सत्येन्द्र कुमार	संविदा प्रवक्ता
5.	डा0 विधि ढोडियाल	संविदा प्रवक्ता
6.	श्री विमल डबराल	पुस्तकालय प्रभारी
	योग विभाग	
1.	श्री अमित नेगी	गेस्ट फैकल्टी
2	श्रीमति पूजा	गेस्ट फैकल्टी
3	श्री अनुज जोशी	गेस्ट फैकल्टी
	बी.बी.ए विभाग	
1.	श्रीमति भावना गर्ग	गेस्ट फैकल्टी
2.	श्रीमति रीना परमार	गेस्ट फैकल्टी
3.	कु0 दीपा	गेस्ट फैकल्टी
	पी.जी. डिप्लोमा इन मॉस कम्यूनिकेशन	
	श्रीमति रेखा खत्री	गेस्ट फैकल्टी
क्रम स0	कर्मचारियों का नाम	पदनाम
1.	श्री मनमोहन सिंह	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
2.	श्री शुरवीर दास	मुख्य सहायक
3.	श्री राजेशकुमार वर्मा	इलैक्ट्रिीशियन
4.	श्री बी0सी0काला	प्रयोगशाला सहायक (रसायन)
5.	डा0 किशोरकुमार	प्रयोगशाला सहायक (जन्तु)
6.	श्री पंकज कुमार	प्रयोगशाला सहायक
7.	कुमारी रितिकारिंगोला	प्रयोगशाला सहायक
8.	श्रीमती सोनी डिमरी	कार्यालय अनुसेविका
9.	कुमारी मीनाक्षी शर्मा	सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष
10.	श्री सुनील कुमार मैठाणी	कार्यालय अनुसेवक
	उपनल	
11.	श्री अरविन्दनेगी	प्रयोगशाला सहायक (गृहविज्ञान) (सम्बद्ध रूसा)
12.	श्री बलवीरसिंह पंवार	प्रयोगशाला सहायक (वनस्पति)
13.	दीपिका शर्मा	पुस्तकालय सहायक
14.	श्री चैतराम चौहान	प्रयोगशाला परिचारक
15.	श्री दीपक	बुक लिफटर
16.	श्री खजानसिंह	अनुसेवक
17.	श्री सचिन कुमार	अनुसेवक
18.	श्री दीपक सिंह बिष्ट	प्रयो. परिचारक
19.	श्री जयभगवान	प्रयोगशाला परिचारक
20.	श्री महावीर	रात्रि चौकीदार (सम्बद्ध सचिवालय)
21.	श्रीमती सविता देवी	स्वच्छक
22.	श्री अशोक कण्डारी	सहायक लेखाकार
23.	श्रीमती शीतलतोमर	डाटा एण्ट्री आपरेटर
24.	श्रीमती अनितापंवार	स्टोर कीपर
25.	श्री विरेन्द्र भाटी	परिचारक
26.	श्री आवेश कुमार	परिचारक